/

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

पत्रांक :–4 / आ0–03–1007 / 2017 29 राँची / दिनांक : 25/1/18

अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद के पत्रांक–1499 दिनांक–07. 07.2017 द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया गया कि श्री देवेन्द्र नाथ महतो, कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, धनबाद शहरी के द्वारा दिनांक–05.07.2017 को करीब 09.03 AM बजे अपने व्यक्तिगत मोबाईल संख्या–9835900277 से वाट्सएप्प के सरकारी ग्रुप (स्वच्छ धनबाद) पर आपत्ति जनक एवं अशोभनीय मैसेज पोस्ट किया गया। श्री महतो का उक्त आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली में वर्णित नियमों के प्रतिकूल आचरण का परिचायक है। उक्त वर्णित असंवैधानिक कृत हेतु निदेशानुसार अवर प्रमण्डल, पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल संख्या–01, धनबाद द्वारा दिनांक–06.07.2017 को धनबाद सदर थाना में श्री महतो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

2. उक्त वर्णित मामले पर विचारोपरान्त विभाग द्वारा श्री महतो के असंवैधानिक एवं अशोभनीय कृत तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण के विरूद्ध उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया। उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–244 सहपठित ज्ञापांक–3193 दिनांक–11.07.2017 द्वारा श्री महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री महतो द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–05.10.2017 द्वारा निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध विभाग से किया गया। उक्त अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी। जिसमें पाया गया कि श्री महतो के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन नही किया गया है। तत्पश्चात् पूरे मामले के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री महतो को निलंबन मुक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक धनबाद से प्राथमिकी संख्या–317 / 17 दिनांक–26.07.2017 से संबंधित प्रतिवेदन II प्राप्त होने के उपरांत विभागीय कार्यवाही चलाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते है–

i. श्री देवेन्द्र नाथ महतो, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, धनबाद शहरी सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

ii. पुलिस अधीक्षक धनबाद से प्राथमिकी संख्या–317 / 17 दिनांक–26.07.2017 से संबंधित प्रतिवेदन II प्राप्त होने के उपरांत श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री देवेन्द्र नाथ महतो, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, धनबाद शहरी सम्प्रति निलंबित, अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद एवं अन्य सम्बन्धित को दी जांय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 4/आ0–03–1007/2017 438 राँची/दिनांक : 25/1/18

प्रतिलिपिः माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख कोषांग/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आरोप शाखा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :4/आ0–03–1007/2017 438 राँची/दिनांक : 25/1/18

प्रतिलिपिः कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, धनबाद–01/सम्बन्धित कोषागार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :4/आ0–03–1006/2017 438 राँची/दिनांक : 25/1/18

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :4/आ0–03–1006/2017 438 राँची/दिनांक : 25/1/18

प्रतिलिपि– श्री देवेन्द्र नाथ महतो, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, धनबाद शहरी सम्प्रति निलंबित, अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :4/आ0–03–1007/2017 438 राँची/दिनांक : 25/1/18

प्रतिलिपि– श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT),(PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

25.01.18